:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :–अनील कुमार जैन
मूकदमा नम्बर 138/18 राजस्व वाद

1. अल्पेश पिता नानुराम कलाल
2. हेमलता पिता नानूराम कलाल
3. हंसा पिता नानुराम कलाल
4. हीना पिता नानूराम कलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी ससलई तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. प्रधानाचार्य रा0.उ0प्रा0वि0 ससलई तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज
2. मोहनलाल कलासुआ पेशा अध्यापक निवासी ससलई तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज
3. कावजी निवासी ससलई तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज
4. श्रीलेण्ड होल्डर जरीये तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी**
2 **प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।**

:: निर्णय :: दिनांक 14/12/2020

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने प्रस्तुत किया कि:– गॉव ससलई के जमाबन्दी खाता सख्या 6 कें खसरा सख्या 491/66 का रकबा 8.10 बीघा कृषि भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है जिस पर वादीगण काश्त कर अपना एवं अपने परिवार की परवरिश किया करते है, कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है, कि वादीगण ने या उनके पुर्वजों ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को या उनके पूर्वजो को या पदपूर्ववर्ती को कभी भी किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की है न्र ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा करने का आदेश पारित किया गया है फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादीगण के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है, कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर शान्ती पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है तथा वादीगण को डरा धमका रहे है कि गॉव के लोगो से, स्कूल के बच्चो से, हमला करवा देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण आपराधीक कृत्य दंगा, बलावा करवा देगे, एवं अन्य झुठे प्रकरण में फस्राने की धमकी दे रहे है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने एवं अन्य निदोष लोगो एवं बच्चो को आगे कर भडका कर अपना उल्लु सीधा करना चाहते है ऐसे में वादीगण को प्रतिवादीगण राजकीय कर्मचारी होकर अनपढ लोगो एवं बच्चो को आगे कर वादीगण को तंग परेशान कर रहे है ऐसे में वादीगण एवं उनके परिवार के साथ किसी प्रकार की घटना कें लिए प्रतिवादीगण जिम्मेदार

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

Scanned with CamScanner

माने जावेगे। कि वादपत्र में वर्णित आराजी पर वादी काबीज होकर काश्त करते आ रहे है यादग्रस्त आराजी का वादीगण खातेदार काश्तकार है ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षती होगी। कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण कोई कब्जा नहीं है यदि दोराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया जाता है तो पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावें।

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को, उनके हितप्रतिनिधीयो को, पदउत्तरवर्ती का, पदपूर्ववर्ती को, उनके मजदूर, मीत्र एजेन्ट द्वारा, या अन्य किसी को उकसा कर वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का जवाबदावा निम्नानुसार पेश किया:– कि वाद–पत्र कि कम सख्या 1 में वर्णित कथन कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौज़ा ससलई में होना अस्वीकार है, बल्कि जो खसरा नम्बर 491/66 का रकबा 08 बीघा 10 बीसवा बताया जा रहा है उस भूमि के कुछ भाग पर विपक्षी सख्या 1 विधालय का कब्जा है, तथा विधालय भवन बना हुआ है, इसके अलावा कुछ जमीन बची हुई भूमि है, जिसमें समस्त गॉव का होली चौक है, जहॉ पर समस्त ग्रामवासी होली जलाते है, तथा गॉव के समस्त सामाजिक कार्यकम उस भूमि पर होते है,तथा उक्त भूमि ग्रामवासीयों के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की है प्रार्थीगण ससलई के निवासी भी नहीं है, वे ग्राम चिखली के निवासी है, प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर यह जानकारी विपक्षीगण द्वारा की गई व नामान्तरण की नकले निकलवाई तो विपक्षीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थी के पिता श्री नानूराम जो कि लेम्पस में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे तथा कृषक की परिभाषा में नहीं आते है उनके द्वारा फ्रोड व मीसप्रजेन्टेशन कर अपने आपको गॉव ससलई का निवासी तथा कृषक बताते हुए तथा उक्त भूमि के आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी वाद वर्णित भूमि का आवटन अपने स्वयं के नाम से करा लिया तथा आवटन आदेश होने से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गेर खातेदार के रूप में नाम दर्ज करा लिया परन्तु न तो उनके जीवनकाल में उक्त भूमि पर उनका कब्जा रहा है तथा न ही मरणोपरान्त प्रार्थीगण जो कि स्व. नानूराम की वारिस है उनका कब्जा रहा है, तथा प्रार्थीगण को भी उक्त भूमि की जानकारी नहीं थी इसी कारण अपने पिता की मृत्यु के 20 वर्ष गुजर जाने के उपरान्त भी नामान्तरण अपने नाम नही खुलवाया, तथा अब 20 वर्षो पश्चात नामान्तररण खुलवाया है स्वय् प्रार्थी सख्या 1 कुवैत में रोजगाररत है तथा प्रार्थी सख्या 2 से 4 का विवाह होकर ससुराल में है इस कारण यह कहना पूर्णतः अस्वीकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वादवर्णित भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार की परवरिश करता हूँ यह अस्वीकार है वादी द्वारा कपट पूर्वक आवंटन करा लिया है उक्त आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। कि वादपत्र की कम सख्या 2 अस्वीकार है वादवर्णित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना न होना पूर्णतः अस्वीकार है, विस्तृत विवरण कलम सख्या 2 में वर्णित कर दिया है, कि वादपत्र के कम सख्या 3 का जवाब है कि जब स्वयं प्रार्थीगण का वादवर्णित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा विपक्षी विधालय को हस्तान्तरित करने का कथन व शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त का कथन पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है, वादवर्णित भूमि पर विधालय भवन निर्मित है व सार्वजनिक होली चोक है। कि वादपत्र की कम सख्या 4 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है, प्रार्थी का कब्जा काश्त ही नहीं है तो कब्जे काश्त में व्यवधान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है प्रार्थी कभी भी मौके पर ही नहीं आए है, तो प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा झुठे प्रकरण में फसा देने की धमकी देना व अन्य कृत्य करना अस्वीकार है। कि

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

वादपत्र कि कम सख्या 5 में वर्णित कथन का जवाब है कि प्रार्थीगण मात्र कागजी तौर पर खातेदार काश्तकार है, तथा भूमि का आवटन का पात्र नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थीगण के पिता ने किस प्रकार आवंटन करा लिया यह विस्तृत विवरण प्रार्थनापत्र की उपरोक्त कोलम में वर्णित कर दिया है प्रार्थीगण का मामला किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया नहीं है, प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नही है तो सुविधा का सन्तुलन, अपुरणीयक्षती होने का कथन भी पूर्णतः अस्वीकार है, प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का निवेदन है। कि वादपत्र की कॉलम सख्या 10 अस्वीकार है, वाद वर्णित भूमि पर विधालय का निर्माण वर्ष 1984–85 में हो चुका है तब कभी भी प्रार्थीगण द्वारा व उसके पिता द्वारा अनापत्ति नहीं की गई है, प्रार्थीगण का वाद किसी भी प्रकार से अवधि में नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण किसी भी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जिससे वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब के अनुसार कि दिनांक 31/05/2019 को तनकी बनाई गई, जो निम्नानुसार है:–

1. कि आया वादी मौजा ससलई के जमाबन्दी खाता सख्या 6 कें खसरा सख्या 491/66 का रकबा 8.10 बीघा का खातेदार काश्तकार है, तथा कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरान अतिकमण करने पर जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है

जिम्मे वादी

2. कि दोराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण किए जाने पर उसे हटवाने का अधिकारी है

जिम्मे वादी

3. कि वकिल प्रतिवादी कें जवाब अनुसार विवादित भूमि पर होली चौक एवं सार्वजनिक उपयोग की होने से एवं वादीगण का उस पर कभी कब्जा काश्त नहीं होने से वे उस भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है

जिम्मे वादी

वादीगण की ओर से वादी अल्पेश पिता नानुराम कलाल, हेमलता पुत्री नानुराम कलाल, हसांदेवी पुत्री नानुराम कलाल, हिना पुत्री नानुराम कलाल के बयान शपथपत्र पेश किए।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में गॉव ससलई के जमाबन्दी संवत् 2072–2075 कें खाता सख्या 6 कें खसरा सख्या 491/66 का रकबा 8.10 बीघा खातेदार काश्तकार का नाम अल्पेश पिता नानुराम, हेमलता, हंसा, हीना, पिता नानुराम कलाल निवासी चिखली प्रस्तुत की।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया,ओर प्रत्येक तनीक अलग–अलग विनिश्चिय की गई है :–

1. तनकी सख्या 1:– वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में पटवारी द्वारा प्रमाणित जमाबन्दी गॉव ससलई तहसील चिखली के जमाबन्दी खाता सख्या 6 के खसरा सख्या 491/66 का रकबा 8.10 बीघा भूमि की जमाबन्दी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है ऐसे में तनकी सख्या 1 वादी साबीत करने में सफल रहे है यह तनकी वादीगण के पक्ष में विनिश्चय की जाती है ।

2. तनकी सख्या 2:–दौराने वाद वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरान अतिकमण करने पर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे:– वादीगण द्वारा अपने वाद में स्पष्ट अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण जबरान वादीगण के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

Scanned with CamScanner

काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है, तथा वादीगण को डरा धमका रहे है कि गॉव के लोगो से स्कूल के बच्चो से हमला करवा देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण आपराधीक कृत्य दंगा, बलावा करवा देगे, एवं अन्य झुठे प्रकरण में फसाने की धमकी दे रहे है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने एवं अन्य निर्दोष लोगो एवं बच्चो को आगे कर भडका कर अपना उल्लु सीधा करना चाहते है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का प्रस्तुत जवाब में अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर होली चोक होकर सार्वाजनिक उपयोग में है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में अवैध, विधिविरूध रूप से व्यवधान पैदा किया जा रहा है, जो आपराधीक कृत्य की श्रेणी में आता है, ऐसे में उक्त तनकी भी वादीगण साबीत करने में सफल रहे है यह तनकी वादीगण के पक्ष में विनिश्चय की जाती है।

3 तनकी सख्या 3:– कि प्रतिवादीगण का कृत्य आपराधीक कृत्य है ऐसे में किसी भी आपराधीक कृत्य के द्वारा किसी खातेदार काश्त की भूमि उससे छीनी नहीं जा सकती है ऐसे में उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में विनिश्चिय की जाती है।

वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है, वादीगण के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करना प्रतिवादीगण का अपराधीक कृत्य है, ऐसे में वादीगण का वादग्रस्त आराजी से खातेदारी हक नहीं चला जाता है, वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्कूल अतिक्रमण होना भी बताया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि स्कूल एक राजकिय संस्था है ऐसे में स्कूल बनाने से पहले सरकार द्वारा स्कूल के लिए अलग से जमीन आवंटन की जाती है यह सरकार की अपनी व्यवस्था है न कि किसी अन्य खातेदार की भूमि पर विधि–विरूध निर्माण कार्य किया जा सकता है।

कियात्मक आदेश

कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है गॉव ससलई तहसील चिखली के खसरा सख्या 491/66 का रकबा 8.10 बीघा भूमि में न तो प्रतिवादीगण स्वमय् या उनके हितप्रतिनिधि, पदउत्तरवर्ती/पूर्ववर्ती, मित्र, ऐजेन्ट मजदूर द्वारा वादीगण के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही करावे।

(अनील कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. बूंदी

यह निर्णय आज दिनाक 14/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनील कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. बूंदी

Scanned with CamScanner